पीठासीन अधिकारी :– गांगेराम पूनिया आर.टी.एस.

तारीख दायर 17.01.2020

मुकदमा नम्बर 06/2020

सरकार बनाम मामचन्द पुत्र श्री हरचन्द, रामसिंह , कंवर सिंह, विक्रम पुत्रान मामचन्द जाति अहीर

निवासी रायपुर अहिरान तहसील बुहाना

अ.धा. 91 (6) राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 29.01.2021

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का रायपुर अहिरान ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम रायपुर अहिरान की राजकीय भूमि गैं0मु0 जोहड़ ख0न0 177 कुल रकबा 1.85 है0 किरम गैं0मु0 जोहड़ में से 800 वर्ग फुट भूमि पर अतिक्रमी मामचन्द पुत्र श्री हरचन्द, रामसिंह , कंवर सिंह, विक्रम पुत्रान मामचन्द जाति अहीर निवासी रायपुर अहिरान ने अवैध रूप से छड़िया, पत्थर,व गोबर की कुलड़ी डालकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा। साक्ष्य/सबुत पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रस्तुत जवाब में अतिक्रमी मामचन्द पुत्र श्र‍ी हरचन्द जाति अहीर निवासी रायपुर अहिरान ने यह उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 177 रकाब 1.85 है0 भूमि पर छड़िया पत्थर गौबर की कुरडी डालने की बावत नोटिस दिया गया है। यह है कि उक्त खसरा नम्बर 177 रकबा 1.85 है0 की भूमि पर कोई किसी प्रकार का कब्जा नही है ना ही छड़िया पत्थर कुरडी डाल

तहसीलदार
बुहाना (झुन्झुनू) राज०

Scanned with CamScanner

खी है। ना ही कोई अतिकमण कर रखा है। इसलिये उक्त नोटिस की कार्यवाही को निरस्त करवाना चाहता है। इसी तरह अतिकमी कवर सिंह पुत्र मामचन्द जाति अहीर निवासी रायपुर अहिरान द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 177 रकबा 1.85 है0 की भूमि पर कोई किसी प्रकार का कब्जा नही है ना ही छडिया पत्थर कुरडी डाल वगैहा थी। वह उठा ली गई है। अब किसी प्रकार को प्रार्थी का कब्जा अतिकमण की नियत से नही है। इसलिये उक्त नोटिस की कार्यवाही को निरस्त करवाना चाहता है। खसरा नम्बर 177 रकबा 1.85 है0 भूमि पर किसी प्रकार का वर्तमान में अतिकमण नही किया है। जिस भूमि पर अतिकमण किया गया है वह छडिया वगैरा उठाने के लिये तैयार है। उक्त भूमि पर से अतिकमण हटाये जाने बाबत उक्त नोटिस की कार्यवाही को निरस्त करवाना चाहता है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में छड़िया पत्थर कुरड़ी डालकर अतिकमण किया गया है। अतिकमण किये जाने के फलस्वरूप अतिकमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से पुनः बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से छडिया पत्थर कुरडी डालकर अतिकमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 28.41/– का अतिकमण शुदा भूमि के लगान 1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/– बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया।

रा.लो. सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 92 पर 50/- की मांग कायम की गई।
Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज0)
तहसीलदार
बुहाना (झुन्झुनू) राज0

Scanned with CamScanner